

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं ह०), बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-21/7/2026

विषय:- स्व० विजेन्द्र कुमार कुशवाहा, प्रखंड कार्यपालक सहायक, पिता-श्री गौतम प्रसाद, ग्राम+पोस्ट-जयजोर, थाना-आन्दर, प्रखंड-आन्दर, अनुमंडल-सिवान सदर, जिला-सिवान की मृत्यु के उपरांत सामाजिक सुरक्षा के रूप में मृतक के आश्रित को ₹4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

2. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान के द्वारा स्व० विजेन्द्र कुमार कुशवाहा, प्रखंड कार्यपालक सहायक, पिता-श्री गौतम प्रसाद, ग्राम+पोस्ट-जयजोर, थाना-आन्दर, प्रखंड-आन्दर, अनुमंडल-सिवान सदर, जिला-सिवान की सेवावधि में दिनांक-11.03.2021 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित को ₹4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत की गयी है। साथ ही जिला पदाधिकारी, सिवान के आदेश संख्या-08, दिनांक-01.06.2026 के माध्यम से इतनी ही राशि का आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

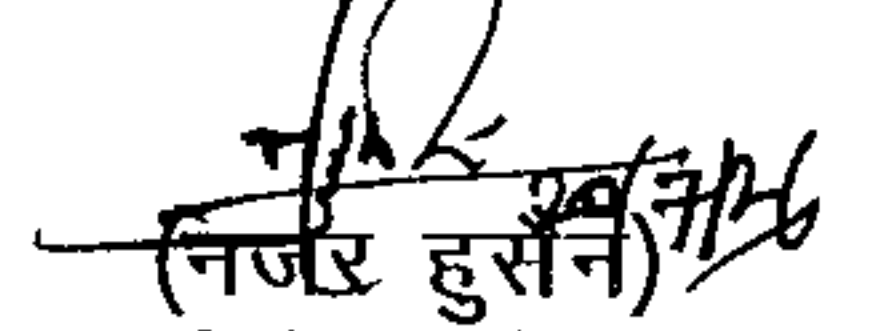
3. अतः पंचायती राज विभाग, बिहार के आदेश संख्या-231/पं०रा०-सह-पठित ज्ञापांक-9429, दिनांक-25.08.2023 एवं आदेश संख्या-207/पं०रा०-सह-पठित ज्ञापांक-4390, दिनांक-24.03.2025 और जिला पदाधिकारी, सिवान से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में स्व० विजेन्द्र कुमार कुशवाहा, प्रखंड कार्यपालक सहायक, पिता-श्री गौतम प्रसाद, ग्राम+पोस्ट-जयजोर, थाना-आन्दर, प्रखंड-आन्दर, अनुमंडल-सिवान सदर, जिला-सिवान के आश्रित को कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत की जाती है।

4. इस स्वीकृत राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0101-मुख्यालय पंचायत स्थापना मद अंतर्गत विषय शीर्ष-3701-अनुग्रह अनुदान"। इसका विपत्र कोड-16-2515000010101 एवं माँग संख्या-16 हैं।

कृ०प०उ०.....

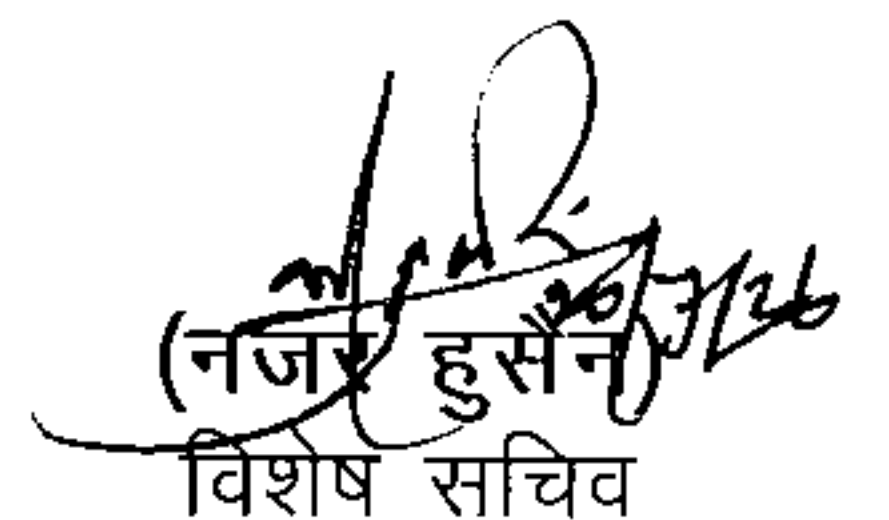
5. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सिवान होंगे, जो राशि की निकासी जिला कोषागार, सिवान से कार्यपालक सहायक के आश्रित के खाते में जाचोंपरांत CFMS के माध्यम से अंतरित करेंगे।
6. स्वीकृत राशि की निकासी जिला कोषागार, सिवान से वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।
7. वित्त विभाग के पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका 3प/Ex. Asst/DEO-12-01/2024 में पृष्ठ संख्या-35/टि० पर दिनांक-10/07/2026 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका 3प/Ex. Asst/DEO-12-01/2024 के पृष्ठ-35/टि० पर दिनांक-14/07/2026 को प्राप्त है।
10. इस स्वीकृत राशि का नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के अंदर उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
11. राशि की स्वीकृति यह मानकर दी जा रही है कि जिला पदाधिकारी, सिवान के द्वारा स्व० विजेन्द्र कुमार कुशवाहा, प्रखंड कार्यपालक सहायक की मृत्यु एवं उनसे संबंधित सभी अभिलेखों की पूर्ण जाँच अपने स्तर से करा ली गयी है।
12. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ पर विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन


(नजर हुसैन)

विशेष सचिव

ज्ञापांक:-3प/Ex. Asst/DEO-12-01/2024/...../पं०रा०पटना, दिनांक-21/7/2026
प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सिवान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

कृ०पृ०उ०.....


31/3/

34(ख)
ज्ञापांक:—3प/Ex. Asst/DEO—12—01/2024/...../पं०रा०पटना,दिनांक—21/7/2026
प्रतिलिपि:—अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/7/26
(नज़र हुसैन)
विशेष सचिव

34(ख)
ज्ञापांक:—3प/Ex. Asst/DEO—12—01/2024/...../पं०रा०पटना,दिनांक—21/7/2026
प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-05 (बजट)/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रशाखा-05 के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संबंधित कर्मों को पूर्व में विभाग से अनुग्रह अनुदान राशि आवंटित नहीं की गयी है।

21/7/26
(नज़र हुसैन)
विशेष सचिव

34(ख)
ज्ञापांक:—3प/Ex. Asst/DEO—12—01/2024/...../पं०रा०पटना,दिनांक—21/7/2026
प्रतिलिपि:—आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

21/7/26
(नज़र हुसैन)
विशेष सचिव

343

